भारत को रूस तेल पर 30 दिन की छूट

मिडिल-ईस्ट संकट में भारत की तेल आपूर्ति सुरक्षित

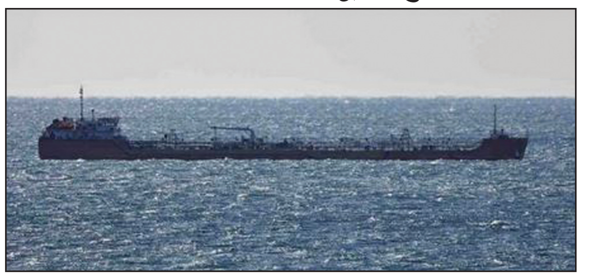

नई दिल्ली, 06 मार्च. मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव और ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने के कारण ग्लोबल तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है. ब्रेंट क्रूड की कीमतें 83 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. ऐसे समय में भारत के लिए राहत की खबर यह है कि अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने की विशेष छूट दी है, जो 3 अप्रैल तक वैध रहेगी.

इससे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी फिलहाल नहीं होगी. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने यह कदम ग्लोबल सप्लाई चेन को स्थिर रखने और भारत को ऊर्जा जरूरतों के सुरक्षित विकल्प देने के लिए उठाया है. इस विशेष लाइसेंस के तहत केवल 5 मार्च तक समुद्र में लोड किए गए रूसी तेल की ही आपूर्ति की जाएगी. इससे भारत को लागत और समय दोनों में फायदा मिलेगा और घरेलू ईंधन कीमतों पर दबाव नहीं पड़ेगा. मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अवरुद्ध करने के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उथल-पुथल मची हुई है. ब्रेंट क्रूड की कीमतें 83 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका बढ़ गई थी. ऐसे में भारत के लिए राहत की खबर यह है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए विशेष 30 दिन की छूट दी है, जो 3 अप्रैल तक वैध रहेगी.

> विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेरिकी छूट भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ महंगाई पर भी नियंत्रण रखने में मदद करेगी. इसके अलावा, रूसी तेल टैंकर फिलहाल एशियाई जल क्षेत्र में वेटिंग मोड में खड़े हैं. भारत इन टैंकरों को तुरंत रिसीव कर सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन समय और लागत में कमी आएगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और फारस की खाड़ी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी बाधा का असर सीधे ऊर्जा सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.

होर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप

नई दिल्ली, 06 मार्च. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर साफ दिखाई देने लगा है. जॉइंट मैरिटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में इस अहम समुद्री मार्ग से केवल दो कॉमर्शियल जहाज ही गुजर पाए, जबकि आम दिनों में यहां से दर्जनों बड़े तेल टैंकर गुजरते हैं. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस दौरान एक भी तेल टैंकर इस रास्ते से नहीं निकला.

बिटकॉइन से युद्ध फंड जुटा रहा ईरान

नई दिल्ली, 06 मार्च. पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और गिरती मुद्रा के बावजूद ईरान मौजूदा युद्ध के दौरान विदेशों से मशीनरी, ईंधन और सैन्य उपकरणों की खरीद कर पा रहा है. इसके पीछे एक ऐसा वित्तीय रास्ता है जिस पर पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम या अमेरिकी प्रतिबंधों का नियंत्रण नहीं है- क्रिप्टोकरेंसी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बड़े पैमाने पर बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है और उसी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए कर रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि बिटकॉइन के जरिए ईरान डॉलर आधारित बैंकिंग सिस्टम और नेटवर्क को दरकिनार कर सकता है. इस व्यवस्था से न केवल उसे प्रतिबंधों से बचने में मदद मिल रही है बल्कि युद्ध के समय वित्तीय संसाधन जुटाने का एक वैकल्पिक माध्यम भी मिल गया है. ब्लॉकचेन डेटा से यह भी सामने आया है कि हाल के दिनों में ईरानी क्रिप्टो वॉलेट्स में असामान्य गतिविधि देखी गई है, जिससे संकेत मिलता है कि डिजिटल करेंसी युद्ध से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभा रही है. पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अंतरराष्ट्रीय भुगतान और युद्ध के लिए फंड जुटाने का एक नया रास्ता तलाश लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान सरकार बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहकर आर्थिक लेन-देन कर रही है.

क्रिप्टो के सहारे प्रतिबंधों से बच रहा ईरान

बिटकॉइन माइनिंग से ईरान को अरबों की कमाई

3 दिन में 8,000 सस्ता हुआ सोना, चांदी धड़ाम

1.59 लाख पर आया सोना

26,000 हजार रुपए गिरी चांदी

नई दिल्ली, 06 मार्च अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग के बीच सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत शुक्रवार को 1,177 रुपए गिरकर 1,59,409 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई.

पिछले तीन दिनों में सोना करीब 8,000 रुपए सस्ता हो चुका है. वहीं चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली है और एक किलो चांदी 902 रुपए टूटकर 2,63,210 रुपए प्रति किलो पर आ गई है. तीन दिनों में चांदी करीब 26,000 रुपए सस्ती हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में आई तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी है, जिससे कीमतों पर दबाव बना है. हालांकि, लंबी अवधि में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बढ़ती मांग के कारण कीमती धातुओं में फिर से तेजी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है.

> पिछले तीन दिनों में सोने की कीमतों में कुल मिलाकर करीब 8,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है. चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट आई है. शुक्रवार को एक किलो चांदी का भाव 902 रुपए घटकर 2,63,210 रुपए प्रति किलो रह गया, जबकि इससे पहले इसकी कीमत 2,64,212 रुपए प्रति किलो थी. पिछले तीन दिनों में चांदी करीब 26,000 रुपए सस्ती हो चुकी है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के समय में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है, जिसके कारण कीमतों में यह गिरावट देखने को मिल रही है.

इंडिगो ने पश्चिम एशिया टिकट रद्द शुल्क माफ किया

नई दिल्ली, 06 मार्च. निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए 31 मार्च तक की यात्रा के टिकट रद्द कराने पर कोई शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है. एयरलाइंस ने शुक्रवार को बताया कि वह पश्चिम एशिया और इस्तांबुल (तुर्की) की यात्रा के लिए 31 मार्च तक के टिकट पर रद्द कराने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगी. उसने यात्रियों को अपनी उड़ान की अद्यतन स्थिति की जानकारी के लिए उसकी वेबसाइट या कस्टमर केयर से संपर्क करने की सलाह दी है.

बीओबी ने ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड से जुटाए 10,000 करोड़

मुंबई, 06 मार्च. बैंक ऑफ बड़ौदा ने गुरुवार को बताया कि उसने दीर्घकालिक परिपक्वता वाले हरित अवसंरचना बॉंड जारी करके 10,000 करोड़ रुपये जुटाए. ये बांड 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ जारी किये गये हैं.

बैंक ने कहा है कि वह घरेलू बाजार में इस तरह के बांड जारी करने वाला देश का पहला बैंक है. इस निर्गम में कुल 16,415 करोड़ रुपये के बॉंड के लिए बोलियां मिलीं जो मूल रूप से 5,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के तीन गुने से भी ज्यादा रहा. इस निर्गम में 5000 करोड़ रुपये का ग्रीन शू विकल्प रखा गया था.

बैंक ने कहा है कि 7.10 प्रतिशत की प्रतिस्पर्धी कट-ऑफ कूपन दर निवेशकों के मज़बूत भरोसे को दिखाती है.

फैशन मार्केटिंग प्रोफेशनल पंखुरी सोनी उद्गम विमेन अचीवर अवॉर्ड

नई दिल्ली,06 मार्च. फैशन मार्केटिंग प्रोफेशनल पंखुरी सोनी को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित उद्गम विमेन अचीवर अवॉर्ड के लिए चुना गया है. यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार गांधीनगर (गुजरात) स्थित उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट ने सुश्री सोनी को यंग अचीवर श्रेणी में यह सम्मान देने की घोषणा की है. यह सम्मान फैशन मार्केटिंग क्षेत्र में उनके समर्पण, पेशेवर उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है.

शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट सेंसेक्स 1,097 अंक लुढ़का

मुंबई, 06 मार्च (वार्ता) पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स 1,097 अंक (1.37 प्रतिशत) टूटकर 10 महीने से ज्यादा के निचले स्तर 78,918.90 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 315.45 अंक यानी 1.27 प्रतिशत गिरकर 24,450.45 अंक पर आ गया जो इसका छह महीने से अधिक का निचला स्तर है. लगातार पांच कारोबारी दिवस में यह शेयर बाजार में चौथी बड़ी गिरावट है. गुरुवार को बाजार में तेजी रही थी. मझौली और छोटी कंपनियों पर आज दबाव कम रहा. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.86 प्रतिशत गिर गया. स्मॉलकैप-100 सूचकांक में भी 0.24 प्रतिशत की गिरावट रही. बाजार में उथल-पुथल को नापने वाला इंडिया वीआईएक्स सूचकांक 11 से ऊपर रहा जो दिखता है कि बाजार में अनिश्चितता बढ़ी हुई है. आईटी और रसायन को छोड़कर अन्य सेक्टरों के सूचकांक लाल निशान में बंद हुए. बैंकिंग और रियलटी सेक्टरों में दो प्रतिशत से ज्यादा गिरावट रही. ऑटो, मीडिया और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद सेक्टरों के सूचकांक भी लाल निशान में रहे. सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर सवा तीन फीसदी से अधिक टूटे.

पेज एक का शेष

कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना जरूरी : मोदी

केरल और तमिलनाडु के किसानों को अधिक फायदे मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिए इस बार नारियल पर खास जोर दिया है, जिससे हमारे किसानों को फायदा होगा. बजट में नॉर्थ ईस्ट की फसलों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव शामिल किया गया है.

कृषि और किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत संबंधित विभागों के अधिकारी वेबिनार में शामिल हुए.

पीएम मोदी ने कहा, अब बजट के बाद उसके फुल पोटेंशियल का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो, बजट का पाई-पाई पैसा जिसके लिए दिया गया है, उसको जल्द से जल्द परिपूर्ण कैसे करें, आपके सुझाव इस वेबिनार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं. एग्रीकल्चर भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा का रणनीतिक स्तंभ भी है. इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है. पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा, एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है. संस्थागत ऋण कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है. पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के दावे का निपटान किया गया है. ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बुनियादी आर्थिक सुरक्षा मिली है.

बीजेपी ने ने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया : खंडेलवाल

तेजी के साथ बढ़ रहा है.

भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि भाजपा जनसंघ के समय से लेकर आज तक जनता के साथ किए हर वादे को पूरा कर रही है. प्रशिक्षण महाअभियान मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी के.सी पटेल ने कहा कि व्यक्ति निर्माण से संगठन और संगठन से राष्ट्र निर्माण का हमारा लक्ष्य है. प्रशिक्षण से समाज में संवेदनशील और पार्टी का सक्षम कार्यकर्ता तैयार होता है.

कार्यशाला का संचालन संभाग प्रभारी अभय प्रताप सिंह यादव ने किया एवं आभार प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नंदिता पाठक ने व्यक्त किया. इस दौरान पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुमेर सिंह सोलंकी, संभाग प्रभारी विजय दुबे एवं प्रदेश मंत्री राजेंद्र सिंह मंचासीन रहे. कार्यशाला में चंबल, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल संभाग (गुना व अशोकनगर जिले को छोड़कर) कुल 23 जिलों के 400 से अधिक विषय वक्तागण उपस्थित रहे. यह जानकानी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने दी.

भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: srmmp.fci@nic.in
क्र. S&C/15/RTC/R&C NIT/2026/07 दिनांक: 07.03.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

जोखिम एवं खर्च पर ठेकेदार की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। कार्य की जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों, ईएमडी एसडी एवं निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है।
किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।
महाप्रबंधक (क्षेत्र)

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता
मानित विश्वविद्यालय - विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
विज्ञापन क्रमांक SRFTI/RECTT./2025-26/012

रोजगार सूचना

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता, निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है:

स.क्र. नं.	पद का नाम	पारिश्रमिक (प्रति माह समेकित)
1.	प्रोफेसर संपादन	लेवल-12 (रु. 78800 - 209200/-)

अधिक जानकारी के लिए www.srfti.ac.in पर लॉग ऑन करें।
CBC 22107/12/0026/2526

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
आंचलिक विपणन कार्यालय
A-A/2, कार्यालय परिसर, गौतम नगर, भोपाल पिन- 462023(M.P.)
मोबाइल नंबर 9308602193, 8947995416
एन एफ एल NFL

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश राज्य में एन.एफ.एल. बीज प्रसंस्करण इकाई-इंदौर में 2 वर्ष की अवधि हेतु हथलन, प्रसंस्करण/ विधायन तथा अन्य संबंधित कार्य के लिए योग्य फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 13 मार्च 2026, 14:30 बजे तक, निविदा आई.डी.: 2026_NFL_269867_1।**
विस्तृत शर्तें, तकनीकी विवरण, पात्रता मानदंड एवं निविदा प्रपत्र आदि की जानकारी हेतु कृपया निम्नलिखित वेबसाइटों पर विज़िट करें: **www.nationalfertilizers.com, www.etenders.gov.in/eprocure/app**। किसी भी शुद्धिपत्र/संशोधन को केवल एनएफएल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
आंचलिक प्रबंधक, भोपाल

भारतीय स्टेट बैंक, सोनागिरी शाखा, भोपाल

आधिपत्य नोटिस (स्थावर सम्पत्ति) [13(4)]

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एवं धारा 13 (12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित ऋणी एवं जमानतदारों को मांग सूचना पत्र दिनांक 28.10.2025 को जारी किया। इस नोटिस की पावती की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने केलिये कहा गया था। ऋणी/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी/जमानतदारों को और आम जनता को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट धारा 13 (4) सहपठित उक्त कथित नियम (8) के अधीन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित सम्पति को दिनांक 06.03.2026 को कब्जे में लिया है। ऋणी/जमानतदारों को विशेष रूप से आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और इस सम्पत्ति के बाबत् किए गये कोई भी व्यवहार **भारतीय स्टेट बैंक** को देय ब्याज एवं खर्चो के अध्यधीन प्रभार (Charge) होगा। इस बावत, ऋणी/जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (Redeem करने) के संबंध में अधिनियम की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

ऋणकर्ता/कर्ताओं का नाम: मेसर्स शिवम बेवरेजेस
पता: सी-2, तीसरी मंजिल, लीला हाइट्स, जोन-5, सिविल लाइंस, चार बंगलो रोड, भोपाल, तहसील एवं जिला भोपाल-462001
गारंटर(ओं): नाम: लालजी सिंह पुत्र मकरंद सिंह
पता: सी-2, तीसरी मंजिल, लीला हाइट्स, जोन-5, सिविल लाइंस, चार बंगलो रोड, भोपाल, तहसील एवं जिला भोपाल- 462001
ऋण खाता संख्या: 42719621613, **बकाया राशि: 48,98,342.52** (अड़तालीस लाख अठायानवे हजार तीन सौ बायलीस रुपये बावन पैसे मात्र) देय ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय।
सुरक्षित संपत्ति: प्लॉट संख्या 10सी/3ए, फ्लैट संख्या सी 2, तीसरी मंजिल, लीला हाइट्स, जोन-5, सिविल लाइंस, चार बंगलो रोड, भोपाल, तहसील एवं जिला भोपाल-462001 में स्थित आवासीय फ्लैट, क्षेत्रफल 4131.50 वर्ग मीटर। उत्तर में सरकारी संपत्ति, दक्षिण में फ्लैट संख्या सी-1, पूर्व में अन्य की भूमि और पश्चिम में सड़क से घिरा हुआ, श्री लालजी सिंह कुशवाह पुत्र श्री मकरंद सिंह के नाम पर।

स्थान: भोपाल
दिनांक: 06.03.2026
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए
अधिकृत अधिकारी
संपर्क क्रमांक: 9993187670

Ministry of Culture
Government of India
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय
तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली - 110011

श्री रामायण और श्री राम से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियों के दान के लिए आह्वान

रामायण पांडुलिपियों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में, देश भर के व्यक्तिगत विद्वानों, पारंपरिक परिवारों, मठों, आश्रमों, पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों, ट्रस्टों और निजी संग्राहकों से सादर निवेदन है कि वे रामायण की प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों का दान करें या भेंट करें, जो निम्नलिखित भाषाओं में रचित हैं:

- संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाएँ
- पारंपरिक भारतीय लिपियों में लिखित (ब्राह्मी, देवनागरी, ग्रंथ, शारदा, नंदीनागरी, बंगाली, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, गुजराती, मोदी लिपि आदि)

पांडुलिपियों में वाल्मीकि रामायण, क्षेत्रीय पाठ और संस्करण, टीकाएँ, उप-टीकाएँ और सहायक ग्रंथ तथा ताड़ के पत्तों या कागज पर निर्मित सचित्र पांडुलिपियाँ शामिल हो सकती हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

इस पवित्र पहल का उद्देश्य रामायण की शाश्वत विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। दानकर्ता को सबसे पहले निम्नलिखित विवरणों के साथ दान करने की इच्छा व्यक्त करनी होगी:

क) पांडुलिपि का शीर्षक (यदि उपलब्ध हो)
ख) पांडुलिपि की आयु (यदि संभव हो) या लगभग
ग) पांडुलिपि की लिपि/लिपि
घ) पांडुलिपि का स्वरूप, जैसे कागज, पृष्ठ आदि
ङ) वीडियो नमूना, प्राथमिकता के आधार पर पहला और अंतिम पृष्ठ, साथ ही रंगीन तस्वीरें
च) आकार और पृष्ठ संख्या आदि (लगभग)

नोट: प्रकाशित सामग्री स्वीकार नहीं की जाएगी।
इच्छुक योगदानकर्ता निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:

श्री संजीब कुमार सिंह, निदेशक, अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय
डाक पता: अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र, नयाघाट, अयोध्या - 224123 उ.प्र
मोबाइल: 9968275856, लैंडलाइन: 05278297215
ईमेल: kumarsinghsanjib@yahoo.co.in, ramkathamuseum2023@gmail.com

CBC 09142/12/0063/2526

motilal oswal Home Finance
मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टावर, रहमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025 I ईमेल: hfquery@motilaloaswal.com I सीआईएन नंबर: U65923MH2013PLC248741

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति/संपत्तियों के लिए)
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (औपचारिक रूप से एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित दिनांक का डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। निम्नलिखित उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसके द्वारा निम्नलिखित उधारकताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित तिथि को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है।

स. क्र.	ऋण अनुबंध संख्या / नाम उधारकर्ता /सह-उधारकर्ता/ गारंटर का	मांग सूचना की तिथि और बकाया	कब्जा प्राप्ति की तिथि	अचल संपत्ति का विवरण संपत्ति का वह अभिन्न अंग जिसमें शामिल हैं
1	LXMOGUNA5522-230666129 उधारकर्ता: विपिन चौकसे, सह-उधारकर्ता 1: पुष्पा बाई चौकसे, सह-उधारकर्ता 2: काजल राय, सह-उधारकर्ता 3: भैया लाल	12.12.2025 के लिए रू. 16,53,196/-	03.03.2026	पटवारी हल्का नंबर 3, ख.नं. 391/2/2, नापतौल 0.114 हेक्टेयर, ग्राम उनारासीकला, थेसिल- लटेरी, जिला। विदिशा, पुलिस स्टेशन के पास, विदिशा, म.प्र.। पूर्वः भूमि चुद्दू लाल की, पश्चिमः रणवीर सिंह की भूमि, उत्तरः की भूमि भगवान गिर, दक्षिणः भूरा की भूमि
2	LXGWA00218-190071725 उधारकर्ता: अजय वीरेंद्र पचौरी सह-उधारकर्ता 1: रागिनी	12.12.2025 के लिए रू. 7,92,565/-	03.03.2026	नगर निगम भवन क्र. 14/1426, वार्ड क्र. 14, पंजनिया नं.191, बुक नं. 2822, माप 136.63 वर्गमीटर, रामतपुरा नं. 2, ग्वालियर, म.प्र.। पूर्वः संपत्ति चारना खाची, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः प्लॉट जगदीश, दक्षिणः शेष भवन भाग विक्रेता।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ऊपर उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 07.03.2026
अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
क्षेत्रीय कार्यालय -I :
पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

ऋणी / जमानतदार / बंधककर्ता को धारा [धारा 13(2)] के अन्तर्गत मांग सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत मांग सूचना (सरफेसी एक्ट)
केनरा बैंक **की संबंधित शाखा** के माध्यम से निम्नवर्णित ऋणियों द्वारा लोन / साख सुविधा समय-समय पर प्राप्त किये गये।

ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना दिनांक / बकाया राशि/ एनपीए दिनांक	संपत्ति का विवरण
केनरा बैंक, बरेली शाखा		
ऋणी: **आदर्श ट्रेडर्स** द्वारा प्रोपराइटर- **श्री रमेश कुमार गौर पुत्र नन्हेलाल गौर** प्रोपराइटर/ऋणी/बंधककर्ता: **श्री रमेश कुमार गौर पुत्र नन्हेलाल गौर** पता: 41 ग्राम सिलवाह, पोस्ट भोंदिया तहसील बरेली बंधककर्ता/जमानतदार: **श्रीमती राधा बाई गौर पत्नि रमेश कुमार गौर** पता: म.नं. 120, ग्राम- सिलवाह तहसील बरेली जिला रायसेन	मांग सूचना दिनांक 17.02.2026 वर्तमान दिनांक को बकाया राशि ₹ 14,67,860.52 + ब्याज एवं अन्य खर्चे NPA : 10.02.2026	**(1) एक रिहायशी डायवर्टेड संपत्ति स्थित सर्वे नं. 257 का भाग, क्षेत्रफल- (908.6 वर्गफिट/84.41 वर्गमीटर) प्लाट नं. 17, वार्ड नंबर 4, साकेत नगर वार्ड लक्ष्मीनाथ कॉलोनी बरेली तहसील जिला रायसेन चर्तुसीमाएं-** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः राठी जी की भूमि, उत्तरः प्लॉट नंबर 18, दक्षिणः प्लॉट नंबर 16, शीर्षक धारक का नाम -श्री रमेश कुमार गौड़ पुत्र नन्हेलाल गौड़ **(2) एक रिहायशी मकान स्थित डायवर्टेड भूमि सर्वे नं. 2531/1/2/1/1 क्षेत्रफल- 768.75 वर्गफुट (71.49 वर्गमीटर) प.ह.नं. 50, वार्ड क्रमांक 34, पूरनपुरा, (सम्राट अशोक वार्ड, हलाली कॉलोनी) विदिशा तहसील जिला विदिशा चर्तुसीमाएं-** पूर्व : आशा बाई को बेची गई जमीन, पश्चिमः सड़क 15 फिट, उत्तरः भगवान दास का प्लॉट, दक्षिणः नंद किशोर का मकान शीर्षक धारक का नाम - श्रीमती राधा बाई गौड़ पत्नी रमेश कुमार गौड़
केनरा बैंक, नर्मदापुरम शाखा		
ऋणी: **विनायक पेट्रोलियम** द्वारा प्रोपराइटर- **विनय कुमार जयसवाल पुत्र जयनारायण जयसवाल,** पटवारी हल्का 21, ग्राम निमसाडिया, जिला होशंगाबाद 461001 प्रोपराइटर/ऋणी/बंधककर्ता: **विनय कुमार जयसवाल पुत्र जयनारायण जयसवाल** पता: वार्ड 17, म नं. 150, मीनाक्षी चौक होशंगाबाद 461001	मांग सूचना दिनांक 12.02.2026 वर्तमान दिनांक को बकाया राशि ₹ 6100029.88 + ब्याज एवं अन्य खर्चे NPA : 10.02.2026	**एक रिहायशी उप प्लाट नं. 06, क्षेत्रफल 756 वर्गफुट अर्थात 70.26 वर्गमीटर शीट नं. 60 के बाहर मकान, प्लॉट नंबर 1/45/11 और 1/46/11 और 1/47/11 स्थित मौजा म्युनिसिपल वार्ड नंबर 17, नया नंबर 16, (गिन्नी कंपाउंड) सिविल लाइन, नजूल टाउन होशंगाबाद तहसील एवं जिला होशंगाबाद म.प्र. चर्तुसीमाएं-** पूर्व- वर्मा जी का घर, पश्चिमः नाला, उत्तरः नाला, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क, शीर्षक धारक का नाम - विनय कुमार जयसवाल पुत्र जय नारायण जयसवाल
केनरा बैंक, बैरागढ़ चीचली शाखा		
ऋणी एवं बंधककर्ता: **श्री संतोष विश्वकर्मा पुत्र बालमुकुंद विश्वकर्मा** बंधककर्ता: **श्रीमती रजनी विश्वकर्मा पत्नि संतोष विश्वकर्मा** सभी का पता: आटा चक्की, मकान नंबर 37, सुदामा नगर, झुग्गियां, हुजूर, भोपाल, म.प्र., 462023	मांग सूचना दिनांक : 21.02.2026 दिनांक को बकाया राशि ₹ 2,45,158 /- + ब्याज एवं अन्य खर्चे NPA : 16.02.2026	**ईडब्ल्यूएस फ्लैट नं. 20/203, गौरव नगर, बैरागढ़ चीचली, कोलार रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (एम.पी. हाउसिंग बोर्ड एवं आई.डी.बी. भोपाल द्वारा विकसित) चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः ब्लॉक नंबर -19/202, पश्चिमः फ्लैट नंबर -20/202, उत्तरः कंपाउंड दीवार, दक्षिणः फ्लैट नंबर -20/204, शीर्षक धारक का नाम - श्री संतोष विश्वकर्मा पुत्र बालमुकुंद विश्वकर्मा एवं श्रीमती रजनी विश्वकर्मा पत्नी संतोष विश्वकर्मा

उपरोक्त वर्णित ऋण / साख सुविधा संबंधित दस्तावेजों द्वारा बैंक के पक्ष में संपत्ति को बंधक रखकर सुरक्षित किया गया था। चूंकि आप ऋण चुकाने में असफल रहे हैं। अतः बैंक द्वारा उपरोक्त तालिका में वर्णित दिनांक को ऋण को एन.पी.ए. वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त वर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को विस्तृत माँग सूचना सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी की गई एवं नोटिस में उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्च नोटिस की तारीख से 60 दिवस की अवधि के भीतर अदा करने के लिए सूचित करते हैं। अन्यथा बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
इसके अतिरिक्त आप सरफेसी अधिनियम की धारा के तहत उक्त रक्षित आस्तियों का या तो विक्रय का लीज करने इत्यादि के द्वारा अन्तरण करने और किसी अन्य प्रकार बाधा डालने से प्रतिबंधित हैं। विस्तृत मांग नोटिस की प्रति हेतु बैंक की शाखा से संपर्क करें।
उधारकर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
मांग सूचना की प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा शाखा में उपलब्ध आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजी जा रही है।
स्थान : भोपाल
दिनांक : 07/03/2026
प्राधिकृत अधिकारी
केनरा बैंक